उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे. / प्र.का. / संरक्षा / संरक्षा परिपत्र / 5 / 24

दिनांक 06.05.2025

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 05/2024

6.10. आग लगनाः–

(1) यदि कोई रेल सेवक कहीं ऐसी आग लगी देखता है जिससे जीवन की हानि या सम्पत्ति को क्षति पहुँचने की संभावना है तो वह जीवन व सम्पति की रक्षा के लिए और आग को फैलने से रोकने तथा उसे बुझाने के लिए, यथासंभव, सभी उपाय करेगा।

(2) यदि आग किसी विद्युत उपस्कर में या उसके आस–पास लगती है और यदि रेल सेवक विद्युत उपस्कर के संचालन में सक्षम है तथा इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है तो वह प्रभावित भाग की बिजली सप्लाई तुरन्त काट देगा।

(3) आग लगने की हर घटना की रिपोर्ट शीघ्रतम उपयुक्त साधनों द्वारा निकटतम स्टेशन मास्टर को दी जायेगी और स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रूप में कार्यवाही करेगा।

स.नि.6.10(1)(क) यदि गाड़ी के किसी वाहन में आग लग गई हो तो गाड़ी रोककर उस वाहन को गाड़ी से पृथक कर दिया जायेगा। गाड़ी के अन्य वाहनों और इस वाहन के बीच की दूरी 50 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। यदि गाड़ी स्थावर सिगनलों से रक्षित नहीं है तो उसका बचाव साधारण नियम 6.03 के अनुसार किया जायेगा यदि आग का पता तब चले जब गाड़ी पानी की टंकी या पानी देने वाले स्टेशन के पास हो तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर उस स्थान पर पहुंचने के लिए अपने विवेक से काम लेंगे।

(ख) यदि सवारी गाड़ी में आग लगी है तो सबसे पहले यात्रियों की सुरक्षा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि डाकयान (पोस्टल वान) में आग लगने का पता चले तो डाक को बचाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।

(ग) यदि जिस वाहन में बिजली में बिजली फिट की हुई है। उसमें शार्ट सर्किट होने से लकड़ी (वुडवर्क) में आग लग जाय तो वाहन के दोनों ओर के विद्युत कपलरों को अलग कर देना चाहिए। यदि उसमें डायनेमों और बैटरी लगी है तो डायनमों वेल्ट अलग कर देनी चाहिये और बैटरियों का कनेक्शन काट देना चाहिए और बैटरी फ्यूज बक्सों से जोड़ने वाली जो कड़ियों (लिंक्स) हो, उन्हें हटा देना चाहिए।

यदि बन्द स्थान में आग लगी हो और आग बुझाने के उपकरण गाड़ी में उपलब्ध हों तो हर स्थिति में उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

स.नि.6.10(2) स्लीपरों में आग का लगना – जब ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट स्लीपर या लाइन के किसी भी अन्य लकड़ी के कार्य में आग लगी देखें तो तुरन्त गाड़ी रोकें ओर आग बुझाएं। ऐसा करते हुए उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह काम प्रभावी ढ़ग से हो ताकि उनके

उस स्थान से जाने पर कुछ भी सुलगता हुआ न रह जाय। सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) के निकटतम गैंग और प्रथम ठहराव स्टेशन को अवश्य सूचना दी जानी चाहिए। गाड़ी के कर्मचारी पास से गुजर रहे लोगों या ग्रामीणों से पानी या अन्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता के बदले में उनको सन्तोषजनक पारिश्रमिक दे सकते हैं या देने का वचन दे सकते हैं।

सर्व सम्बन्धित इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

07/06/25

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (याता.)

प्रतिः—

महाप्रबन्धक के सचिव— महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव— अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.— को सूचनार्थ।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :—अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर— को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।